

By Regd Post

To, The District Judge
Kampur Dehat.

Recd

No 15869 / 2529 Admin (A) Dt 28-10-02 Allahabad

Subject: Sanction of temporary advance of Rs 34,500/- to Sri A.K. Yadav, Addl chief Judicial Magistrate, Kampur Dehat, from his G.P. fund No L.O.V 19947 for purchase of motor car.

Sir, With reference to your Judgeship endt, no S21/Xr(iii)/B.C Dated 2.8.02, (Photo-copy enclosed for ready reference) on the above subject, I am directed to say that the above ^{enclosure} ~~enclosure~~ shows that the Addl District and session Judge, Drawing & Disbursing officer, Kampur Dehat has sanctioned a temporary advance of Rs 34,500/- to Sri A.K. Yadav, Addl chief Judicial Magistrate, Kampur Dehat, under rule 13(1)(2)(vii) for purchase of motor car, ~~whereas this rule does not provide for the purpose for purchase of motor car, as provided in the schedule of the above G.P. fund~~ rules.

I am, therefore, to request you kindly to send your report/classification to this Court at an early date, so that necessary action may be taken in the matter.

Yours faithfully
K D Jaiswal
24.10.2002
Deputy Registrar

Enclosure
D S Choudhary

D.R(M)
If approved
May Issue!
Anup K. Rai
23.10.02
P Handey
23.10.2002
S.O. Ad M
Kmy 24/10/02
Ys
K D Jaiswal
24.10.2002
D.R(M)

21-8-02

Register No.	13529
File No.	IV/2529
Serial No.	67

प्रो फार्म II

सविषय निर्वाह निधियों से स्थायी अधिम स्वीकार किए जाने का फार्म

एतद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक कुमारी पांडे

जो उनके सा. मवि. नि. / अंशदायी मवि. नि. / सी. प्री. एफ. पी. आई. खाता संख्या 11-10-02

1618/2002 LJV/19947

से मोटर कार प्रयोजन के लिए खर्च की व्यवस्था करके

हेतु 34,500/- रुपये (शब्दों में) तीन लाख पचास हजार के अनुसार दी जाती है।
की अस्थाई अधिम की स्वीकृति नियम संख्या 13(1)(2) के अनुसार दी जाती है।

2--अधिम 1150/- रुपये की 30 (तक) मासिक किस्तों

में वसूली की जायेगी, जिसकी पहली किस्त 31/1/2002 (माह) के वेतन जो नित 200 मासिक किस्तों में देय होगा, से प्रारम्भ होगी।

3--राजाज्ञा संख्या _____, दिनांक _____ के अनुसार

स्वीकृत तथा भुगतान की गई _____ रुपये (शब्दों में)

के अधिम में से _____ रुपये (शब्दों में)

के रकम के वसूली अभी बाकी है। यह शेष धनराशि और अब अस्वीकृत की गई अधिम की धनराशि

जिसका कुल योग _____ रुपये शब्दों में _____

होता है, कि वसूली _____ रुपये की

मासिक किस्तों में की जायेगी, जिसकी पहली किस्त _____ माह के वेतनकी

(माह) में देय होगी, से प्रारम्भ होगी।

4--श्री/श्रीमती/कुमारी के खाते में दिनांक 24/7/02 की जमा धनराशि का

विवरण निम्न है :--

(1) वर्ष 2000-2001 की लेखा-पत्रों के अनुसार जमा शेष 1,94,647.200 रुपया

(2) बाद में--

(क) अनिदान के रूप में माह जुलै 2001 से जुलै 2002

तक 49,555/- रुपया।

(ख) पूर्व-स्वीकृत अधिम की वसूली माह _____ से _____

तक _____ रुपया।

(3) कालम (1) तथा (2) का योग 2,44,202.200 रुपया।

(4) निष्कसन, यदि कोई हो, की धनराशि _____ रुपया।

(5) स्वीकृति की तिथि को शेष--

(3) में से कालम (4) घटाकर 2,44,202.200।

No. 521/2002 (iii) / B.C. Dated 28-8-02.

दिनांक 2/8/02

प्रधान निदेशक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

हस्ताक्षर स्वीकृति देने वाला अधिकारी

पदनाम _____

ADD. D.M. & Sessions Judge
Drawing & Disbursing Officer
Kanpur - Dehat

विभाग _____

पी० ए० यू० पी०--022 कोषागार--11-5-'87--1,56,250 (हिन्दी)।

(33) AKR

AKR
17/8

17 AUG 2002

प्रो फार्मा I

सर्वोच्च निर्वाह निधियों से अस्थायी अग्रिम लेने के लिए प्रार्थना-पत्र

1-अभिदाता का नाम शशि कृष्ण कुमार यादव
 2-खाता-संख्या एन० जी० ५०० - 19947
 3-पदनाम ग्रुप प्रिन्सिपल अफिसेर डि० 2, आर० डी०
 4-वतन 11,625/-

5-प्रार्थना-पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरण :-

(1) वर्ष 2000-2001 की लेखा-वर्षी (एकाउन्ट स्लिप) के अनुसार जमा धनराशि 1,94,647.00

(2) माह अप्रैल 2001 से जुलाई 2002 तक अभिदाता द्वारा जमा धनराशि 49,555.00
@ 3000/- Per Month Arrear

(3) अग्रिम की वापसी (रिफंड आफ एडवांस) द्वारा जमा X

(4) निष्कासित धनराशि का विवरण X

(क) अन्तिम निष्कासन X

माह/वर्ष X से X माह/वर्ष तक ।

(ख) अस्थायी अग्रिम X

माह/वर्ष X से X माह/वर्ष तक ।

(5) शुद्ध जमा धनराशि 2,44,202.00

6-पूर्ववर्ती अग्रिम, यदि शेष हो, तो धनराशि और उस अग्रिम का प्रयोजन X

7-अब मांगे जा रहे अग्रिम की धनराशि 34,500/-

8- (क) इस अग्रिम का प्रयोजन आर० डी० के प बि० जाने देतु

(ख) जिस नियमानुसार अनुमन्य है, उसका संदर्भ 13

9-समेकित अग्रिम की धनराशि (मद 6+7) तथा जितनी मासिक किरतों में समेकित अग्रिम धनराशि की अदायगी की जानी है 1150/- अर्थात् मासिक बि० देतु

10-अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण, जिससे प्रार्थना-पत्र का औचित्य सिद्ध हो सके वतन के अति
एन० जी० ५०० - 19947

दिनांक 24/07/2002

Ashok Kumar Yadav
अभिदाता का हस्ताक्षर

24.7.02

नाम शशि कृष्ण कुमार यादव

पदनाम ग्रुप प्रिन्सिपल अफिसेर डि० 2, आर० डी०

अनुभाग/विभाग अफिसेर डि० 2, आर० डी०